सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

दिशा-निर्देश

अनुसूचित जनजाति के छात्रों की

उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति

[केंद्रीय क्षेत्र योजना]

2021-22 से 2025-26

विषय-सूची

भाग-क: राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना		
क्र.सं.	**विवरण**	**पृष्ठ सं.**
	परिचय	
1	उद्देश्य	
2	योजना की मुख्य विशेषताएं	
2.1	पात्रता और पाठ्यक्रम की अवधि	
2.2	आय मानदंड	
2.3	आयु सीमा	
2.4	योजना के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान	
2.5	अध्येतावृत्ति की संख्या	
2.6	अध्येतावृत्ति का मूल्य	
2.6.1	एचआरए	
3	चयन प्रक्रिया	
3.1	पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन	
3.2	पंजीकरण की प्रक्रिया	
3.3	आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज	
3.4	विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा सत्यापन प्रक्रिया	
3.5	अध्येतावृत्ति के लिए चयन प्रक्रिया [एमफिल/पीएचडी]	
3.6	एमफिल/पीएचडी के लिए चयन समिति	
3.7	मेरिट सूची का प्रकाशन	
3.8	विद्वान (स्कॉलर) और संस्थान द्वारा औपचारिकताओं को पूरा करना (पी.एचडी/एम.फिल)	
4	अध्येतावृत्ति निर्मुक्ति	
4.1	पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से निर्मुक्ति	

4.2	अध्येतावृत्ति निर्मुक्त करने और जारी रखने की प्रक्रिया	
4.3	पाठ्यक्रम पूरा होने के समय प्रक्रिया	
5	अन्य मामले	
5.1	विश्वविद्यालय बदलने की प्रक्रिया	
5.2	विषय/पाठ्यक्रम बदलने की प्रक्रिया	
5.3	पाठ्यक्रम की समाप्ति	
5.4	अध्येतावृत्ति की अवधि	
5.5	अध्येतावृत्ति के लिए अवकाश के लाभ (लीव बेनिफिट) (यूजीसी शोधार्थियों (रिसर्च स्कॉलर्स) के लिए लागू)	
6	पुरस्कार रद्द करना	
7	शिकायत मॉड्यूल	
8	दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता	
9	योजना के प्रावधानों में परिवर्तन	
भाग-ख: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति		
क्र.सं.	**विवरण**	**पृष्ठ सं.**
1	उद्देश्य	
2	योजना की मुख्य विशेषताएं	
2.1	पात्रता और पाठ्यक्रम की अवधि	
2.2	आय मानदंड	
2.3	योजना के अंतर्गत कवर किए गए विश्वविद्यालय/संस्थान	
2.4	छात्रवृत्ति के स्लॉट	
2.5	छात्रवृत्ति का मूल्य	
3	चयन प्रक्रिया	
3.1	पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन	
3.2	पंजीकरण की प्रक्रिया	

3.3	आवश्यक दस्तावेज़	
3.4	विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा सत्यापन प्रक्रिया	
3.4.1	मंत्रालय द्वारा सत्यापन प्रक्रिया	
3.5	चयन सूची का प्रकाशन	
4	भुगतान निर्मुक्ति	
4.1	भुगतान प्रक्रिया	
4.2	संस्थान से उपयोगिता प्रमाण पत्र	
4.3	पीएफएमएस में व्यय का अद्यतनीकरण	
5	अन्य	
5.1	मंत्रालय के पोर्टल पर पाठ्यक्रम के पूरा होने का अद्यतनीकरण	
5.2	शिकायत मॉड्यूल	
6	दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता	
7	योजना के प्रावधानों में परिवर्तन	

परिचय

i. यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो भारत में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है।

ii. इस योजना की दो उप-योजनाएं हैं। पहली उप-योजना मास्टर डिग्री पूरी होने के बाद एम.फिल या पीएचडी करने के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना है। दूसरी उप-योजना, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना है, जो प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि जैसे पेशेवर क्षेत्रों में चयनित शीर्ष (टॉप क्लास) सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को करने के लिए है।

iii. ऊपर उल्लिखित दो उप योजनाएं सतत योजनाएं हैं और वित्तीय वर्ष 2017-18 में इनका विलय एक योजना में कर दिया गया था।

भाग-क (राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना)

1. उद्देश्य

योजना का उद्देश्य मेधावी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को स्नातकोत्तर डिग्री पूरी करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

2. योजना की मुख्य विशेषताएं

योजना के तहत अध्येतावृत्ति उन अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा एमफिल, पीएचडी करने के लिए होगी जिन्होंने स्नातकोत्तर/मास्टर डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की है।

नोट:- यदि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत, पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसे दिशा-निर्देशों में शामिल किया जायेगा। हालांकि, 2021-22 से पहले योजना के तहत पहले ही कवर किए गए विद्वानों (स्कॉलर) को मौजूदा योजना के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

2.1 पात्रता और पाठ्यक्रम की अवधि

<table>
<tr><th>पाठ्यक्रम</th><th>अवधि</th><th>पात्रता</th></tr>
<tr><td>एम.फिल</td><td>2 वर्ष या शोध निबंध (डिसर्टेशन) प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो</td><td rowspan="3">स्नातकोत्तर और श्रेणी के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहिए, जैसा कि नीचे 2.4 में उल्लिखित है।
(ii). उम्मीदवारों के पीजी स्तर पर अंतिम परीक्षा/ग्रेडिंग में न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए।</td></tr>
<tr><td>एम.फिल + पी.एचडी</td><td>2+3 = 5 वर्ष या शोध निबंध प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो</td></tr>
<tr><td>पी.एचडी</td><td>5 वर्ष या शोध निबंध प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो</td></tr>
</table>

2.2 आय मानदंड:

इस छात्रवृत्ति के संबंध में पात्रता के लिए कोई आय मानदंड नहीं है।

2.3 आयु सीमा:

छात्रवृत्ति पुरस्कार के प्रासंगिक वर्ष की जुलाई की पहली तारीख को अधिकतम 36 वर्ष।

2.4 योजना के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान

पात्र छात्र विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थानों की निम्नलिखित श्रेणियों में नियमित और पूर्णकालिक एमफिल / पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं: -

i. यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च)/12(ख) या 2(च) और 12(ख) के तहत शामिल विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज।
ii. यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत शामिल मानित (डीम्ड) विश्वविद्यालय व जो यूजीसी से सहायता अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं।
iii. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज
iv. उच्चतर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान।

2.5 अध्येतावृत्ति की संख्या

एम.फिल/एम.फिल + पीएचडी/पीएच.डी के लिए प्रति वर्ष कुल 750 नई अध्येतावृत्तियां होंगी। अजजा के आवेदकों की उचित संख्या में अनुपलब्धता के मामले में उस वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं की गई अध्येतावृत्ति की संख्या को अगले शैक्षणिक वर्ष में अग्रेनीत किया जाएगा। स्लॉट की संख्या पर राज्य/विश्वविद्यालय-वार कोई उच्चतम सीमा नहीं है।

(i). आवेदकों की संख्या पुरस्कार के लिए उपलब्ध स्लॉट की संख्या से अधिक होने की स्थिति में, स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा।

(ii). उप-श्रेणियों को निम्नलिखित प्राथमिकता के अधीन स्लॉट प्रदान किए जाएंगे:

प्राथमिकता	**श्रेणी**	**स्लॉट**
1	दिव्यांगजन [750 का 5%]	38
2	पीवीटीजी (अनुलग्नक-VIII पर सूची)	25
3	महिला [750 का 30%]	225
4	अजजा (एसटी) अन्य	462

	कुल	750

नोट -1: - पात्र छात्र जिन्हें आईआईटी/एम्स/आईआईएम/आईआईएसईआर में प्रवेश का प्रस्ताव मिला है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और अजजा (एसटी)-अन्य श्रेणी (उपरोक्त क्रम संख्या 4) के लिए बनाए गए स्लॉट आनुपातिक रूप से कम कर दिए जाएंगे।

नोट-2: - दिव्यांगजन के रूप में आवेदन करने वाले छात्रों को संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता को प्रमाणित करते हुए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iii). यदि उपरोक्त उप-श्रेणियों के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो उन्हें स्नातकोत्तर परीक्षा पर आधारित परस्पर मेरिट (इंटर-से मेरिट) के आधार पर, उपरोक्त तीन श्रेणियों में से किसी के तहत कवर नहीं किए गए पात्र अजजा (एसटी) शोध आवेदकों को नहीं भरे गए स्लॉट आवंटित कर दिए जाएंगे।

(iv). उप श्रेणी के लिए स्लॉट वितरण के निर्धारण की प्रक्रिया:

श्रेणी 1 [दिव्यांगजन]: दिव्यांगजन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 38 स्लॉट आरक्षित होंगे, और उनका चयन योग्यता के आधार पर होगा। इस श्रेणी में 38 से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, शीर्ष 38 आवेदकों का चयन योग्यता क्रम (मेरिट ऑर्डर) से किया जायेगा तथा शेष आवेदनों को सामान्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत माना जायेगा। हालांकि, यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या 38 से कम है, तो शेष रिक्त स्लॉटों का अगली प्राथमिकता श्रेणी यानी पीवीटीजी द्वारा भरा जाएगा।

श्रेणी 2 [पीवीटीजी]: पीवीटीजी आवेदकों के लिए 25 स्लॉट आरक्षित होंगे, और उनका चयन योग्यता के आधार पर होगा। यदि इस श्रेणी में 25 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो योग्यता क्रम में शीर्ष 25 आवेदकों का चयन आवंटित स्लॉट के सामने किया जाएगा, और शेष आवेदनों को सामान्य अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। हालांकि, यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या 25 से कम है, तो शेष रिक्त स्लॉटों को अगली प्राथमिकता श्रेणी यानी महिला वर्ग द्वारा भरा जाएगा।

श्रेणी 3 [महिला]: कुल 750 में से, 225 स्लॉट महिला आवेदकों [दिव्यांगजन और पीवीटीजी सहित] के लिए आरक्षित होंगे। इस श्रेणी में महिला उम्मीदवारों से 225 से अधिक आवेदन [दिव्यांगजन और पीवीटीजी सहित] प्राप्त होने की स्थिति में, योग्यता क्रम में शीर्ष 225 आवेदकों को उपलब्ध स्लॉटों के सामने चुना जाएगा। शेष आवेदनों को अजजा (एसटी) ओपन श्रेणी के तहत माना जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के आवेदनों की संख्या 225 से कम होने की स्थिति में, शेष रिक्त स्लॉटों को अनुसूचित जनजाति अन्य श्रेणी के साथ समायोजित किया जायेगा।

(iv). दिशानिर्देशों, में प्रावधान है कि छात्र विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान में नियमित और पूर्णकालिक एम.फिल/पीएचडी के लिए छात्रवृत्ति हेतु पात्र है जैसा कि पैरा 2.4 में उल्लिखित है। हालांकि, एम्स/आईआईएम/आईआईटी/आईआईएसईआर में पीएचडी पाठ्यक्रम करने के लिए, जहां पूर्वापेक्षा यह हो सकती है कि प्रवेश लेने से पहले छात्रों के पास वित्तीय सुरक्षा होनी चाहिए, उन छात्रों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास एम्स/आईआईटी/आईआईएम/आईआईएसईआर से प्रवेश का प्रस्ताव है। इसलिए, छात्र को आवेदन पत्र में उल्लेख करना चाहिए कि उसे प्रवेश का प्रस्ताव मिला है और उसे जारी किए गए प्रस्ताव पत्र को भी अपलोड करना चाहिए।

2.6 अध्येतावृत्ति का मूल्य

छात्रवृत्ति के लिए चयनित आवेदक योजना में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन निम्नलिखित तालिका में निर्धारित वजीफे (स्टाइपेन्ड) के हकदार होंगे।

पाठ्यक्रम	धारा (स्ट्रीम)	मासिक छात्रवृत्ति	वार्षिक आकस्मिकता
एम.फिल	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	31000/- रूपये	10,000/- रूपये
	विज्ञान / इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी		12,000/- रूपये
पी.एचडी	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	31000 / - रूपये पहले दो वर्षों के लिए और 35000/- रूपये शेष 3	20,500/- रूपये
	विज्ञान / इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी		25,000/- रूपये

		वर्षों के लिए	
सभी पाठ्यक्रमों के लिए एचआरए (मासिक): यूजीसी दरों के बराबर [शहर के आधार पर 8% या 16% या 24%]			
दिव्यांगजनों के लिए एस्कॉर्ट भत्ता (मासिक): रु. 2000/- (यूजीसी दरों के बराबर)			

उपरोक्त दरें यूजीसी दरों के बराबर हैं, जिन्हें यूजीसी द्वारा संशोधित किए जाने पर संशोधित किया जा सकता है।

2.6.1 एचआरए

i. यदि किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा छात्रावास आवास प्रदान किया जाता है, तो वह एचआरए का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाने वाला केवल छात्रावास शुल्क प्राप्त करने का पात्र होगा। स्कॉलर, मेस (भोजनालय), बिजली, पानी शुल्क आदि का दावा करने का हकदार नहीं होगा। इस आशय का एक प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार/निदेशक/प्राचार्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है।

ii. यदि छात्र अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करता/करती है, तो वह भारत सरकार द्वारा शहरों के वर्गीकरण के अनुसार एचआरए प्राप्त करने का हकदार हो सकता है।

नोट 1: योजना के तहत अध्येतावृत्ति के लिए पात्र माने जाने वाले रिसर्च स्कॉलर उसी अध्ययन के लिए केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

नोट 2: अध्येतावृत्ति की रिलीज उत्तरवर्ती पैरा में बताई गई विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन होगी।

3. चयन प्रक्रिया:

3.1 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन

मंत्रालय द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल https://fellowship.tribal.gov.in के माध्यम से वर्ष में एक बार ऑनलाइन मोड द्वारा शोध छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पोर्टल के खुलने और बंद होने की तारीख का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से उचित प्रचार किया जाएगा। आमतौर पर शैक्षणिक वर्ष में पोर्टल 1 जुलाई को खुलता है और 30 सितंबर को बंद होता है। मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर ये तिथियां बदल सकती हैं, जिन्हें मंत्रालय के पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र खुलने के लिए पोर्टल देखें। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने से पहले मैनुअल अनुदेश को पढ़ लें और किसी भी प्रश्न के लिए, पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क मॉड्यूल को देख सकते हैं। अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिए गए निर्देशों के अनुसार सही तरीके से आवेदन करना होगा।

3.2 पंजीकरण की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने से पहले, अनुसंधान विद्वानों (स्कॉलर) को ऑनलाइन अध्येतावृत्ति पोर्टल के साथ-साथ डिजी लॉकर पर स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है क्योंकि डिजी लॉकर के माध्यम से दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है, जिसके लिए आधार अनिवार्य है जैसा कि मंत्रालय द्वारा अधिसूचित है।

नोट 1: आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.5.2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई और दिनांक 9.6.2017 के पत्र सं. 19012/01/2017-ईडीयू-एससीएच द्वारा सभी राज्यों को परिचालित की गई व इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। अधिसूचना में प्रावधान है कि राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण करवाना अपेक्षित होगा।

3.3 आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदक को पंजीकरण के लिए पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

- नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर (फोटोग्राफ)
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अजजा (एसटी)/पीवीटीजी प्रमाण-पत्र
- जन्म तिथि की पुष्टि के लिए 10वीं/मैट्रिक/समकक्ष प्रमाण-पत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र
- स्नातकोत्तर अंक तालिका (पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट) [% में कुल अंक] / सीजीपीए के मामले में समकक्ष% अंक (सीजीपीए से प्रतिशत दर में रूपांतरण सूत्र जो कि संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया था प्रस्तुत किया जाना है।)
- संबंधित विश्वविद्यालय से एम.फिल/पीएचडी/एकीकृत एम.फिल+पीएच.डी का प्रवेश/कार्यग्रहण (ज्वाइनिंग) प्रमाणपत्र।
- आईआईटी/एम्स/आईआईएम/आईआईएसईआर में भर्ती छात्रों के संबंध में प्रवेश का प्रस्ताव।

आवेदन भरने के बाद, दस्तावेजों के साथ फॉर्म संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान को सत्यापन के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होगा:

3.4 विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा सत्यापन प्रक्रिया

- पोर्टल में विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन जहां आवेदक ने प्रवेश लिया है, का प्रावधान है। विश्वविद्यालय से नोडल अधिकारी और छात्रवृत्ति से संबंधित सत्यापन अधिकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। अधिकारी पोर्टल में दिए गए विवरणों के लिए निर्देश मैनुअल देख सकते हैं। [https://fellowship.tribal.gov.in]

- विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी अपने द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए शोध स्कॉलरों के भौतिक (फिजिकल) दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। यह सुनिश्चित करना संबंधित विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होगी कि शोध स्कॉलर (शोधार्थी) द्वारा अपलोड की गई जानकारी सही है और सत्यापन के समय प्रस्तुत किए गए शोधार्थियों के भौतिक (फिजिकल) दस्तावेजों से मेल खाती है।

- संस्थान द्वारा विधिवत सत्यापित छात्र विवरण प्राप्त करने के बाद, मंत्रालय द्वारा आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। आवेदन में पाई गई किसी भी विसंगति के मामले में, मंत्रालय आवेदन को त्रुटिपूर्ण के रूप में चिह्नित करेगा और त्रुटिपूर्ण आवेदन छात्र को पोर्टल पर दिखाई देगा। छात्र को सलाह दी जाती है कि त्रुटिपूर्ण आवेदन में सुधार करें और संस्थान स्तर पर पोर्टल पर एक बार फिर से जमा करना अपेक्षित है। संस्थान सही किए गए आवेदन को सत्यापित करेगा और इसे अंतिम सत्यापन और अंतिम तिथि से पहले जमा करने के लिए पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

3.5 अध्येतावृत्ति के लिए चयन प्रक्रिया [एमफिल/पीएचडी]

शेष पात्र शोधार्थियों की उनके द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तथा चयन समिति द्वारा अपनाये गये चयन मानदंड के अनुसार योग्यता सूची तैयार की जायेगी। विभिन्न धाराओं (स्ट्रीम्स) के संबंध में स्लॉटों का आवंटन समिति द्वारा अपनाई गई पद्धति पर आधारित होगा।

3.6 एमफिल/पीएचडी के लिए चयन समिति:

जनजातीय कार्य मंत्रालय की चयन समिति द्वारा शोधार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे।

(क)	सचिव (जनजातीय कार्य मंत्रालय)	अध्यक्ष
(ख)	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (जनजातीय कार्य मंत्रालय)	सदस्य
(ग)	संयुक्त सचिव, छात्रवृत्ति प्रभाग	सदस्य
(घ)	निदेशक/उप सचिव, छात्रवृत्ति प्रभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य

ङ)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
च)	यूजीसी के प्रतिनिधि	सदस्य

नोटः- समिति जब कभी भी आवश्यक समझे, विशेष आमंत्रित के रूप में किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकती है।

3.7 योग्यता सूची (**मेरिट लिस्ट) का प्रकाशन**

अध्येतावृत्ति के पुरस्कार के लिए अनंतिम रूप से चयनित शोधार्थियों की सूची जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा। मंत्रालय के पास बिना कोई कारण बताए पुरस्कार को वापस लेने/रद्द करने का अधिकार है।

3.8 विद्वान (स्कॉलर) और संस्थान द्वारा औपचारिकताओं को पूरा करना (पी.एचडी/एम.फिल)

अनंतिम रूप से चयनित शोधार्थी को संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश लेना आवश्यक है और अनंतिम पुरस्कार पत्र जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर मंत्रालय को कार्य ग्रहण (ज्वाइनिंग) रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। यदि कोई शोधार्थी इस निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका पुरस्कार रद्द कर दिया जाएगा और प्रतीक्षा सूची के शोधार्थियों पर विचार किए जाने का अवसर दिया जा सकता है।

शोध विद्वान (स्कॉलर) और विश्वविद्यालय को छात्रवृत्ति प्रदान करने के एक महीने के भीतर निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूरा करना अपेक्षित होगा।

उम्मीदवार ज्वाइनिंग रिपोर्ट विश्वविद्यालय/संस्थान को देगा

I. यदि उम्मीदवार पहले से ही विश्वविद्यालय / किसी अन्य एजेंसी से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है, तो उसे उक्त राशि वापस करना होगा/करनी होगी और अध्येतावृत्ति के चयन की तारीख से इस आशय का एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

II. अध्येतावृत्ति पोर्टल पर दस्तावेजों का अद्धतनीकरण (अप-डेशन):

क. वापसी (रिफंड) रसीद ऑनलाइन जमा की जानी है (उन शोधार्थियों के लिए जिन्होंने अन्य स्रोतों से अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति प्राप्त की है)

ख. शोधार्थी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनंतिम पुरस्कार पत्र में उल्लिखित जांच सूची (चेक लिस्ट) पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

III. शोधार्थी को किसी अन्य स्रोत से शोधार्थी द्वारा अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति प्राप्त न करने के संबंध में विश्वविद्यालय/संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। निर्दिष्ट बैंक पोर्टल/एजेंसी पर दस्तावेजों का अद्यतनीकरण

क. शोधार्थी की ज्वाइनिंग (कार्य ग्रहण) रिपोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड की जाएगी

ख. विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान पात्र लाभार्थियों के मास्टर डेटा को पोर्टल पर एक विशिष्ट उपयोगकर्ता के प्रोफाइल (उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड) के साथ प्रस्तुत करेंगे। लाभार्थी आईडी बनाने के लिए लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या (बैंक एकाउन्ट नम्बर) का मान्यकरण पीएफएमएस के माध्यम से किया जाएगा।

ग. निम्नलिखित जांच सूची (चेक-लिस्ट) का पालन किया जाएगा।

उपाय	औपचारिकताएं
I	विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्दिष्ट बैंक पोर्टल के साथ अनुसंधान विद्वान (शोधार्थियों) आईडी को लिंक करना और अनुमोदन के लिए मंत्रालय को ऑनलाइन प्रस्तुत करना।
II	हर तिमाही के अंत में निर्धारित प्रोफार्मा में निरंतरता प्रमाण-पत्र की तिमाही अपलोडिंग। पहली तिमाही अप्रैल-जून (10 जुलाई) दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर (10 अक्टूबर) तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर (10 जनवरी) चौथी तिमाही जनवरी - मार्च (10 अप्रैल)
III	मंत्रालय द्वारा निरंतरता के अनुमोदन के बाद विश्वविद्यालय द्वारा स्कॉलर की मासिक एचआरए पात्रता के लिए अंकन, जैसा कि ऊपर चरण II में विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किया गया है।
IV	अध्येतावृत्ति की एक वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद, संबंधित अध्येता/पुरस्कार प्राप्त करने वाले को प्रगति रिपोर्ट विश्वविद्यालय में जमा करनी होगी/जनजातीय रिपॉजिटरी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

4. अध्येतावृत्ति जारी करना:

4.1 पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से रिलीज (निर्मुक्ति):

आधार और मोबाइल नंबर से जुड़े सक्रिय बैंक खातों (एक्टिव बैंक एकाउन्ट) में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से निर्दिष्ट बैंक / एजेंसी द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से छात्रवृत्ति जारी (निर्मुक्त) की जाएगी।

i. निर्दिष्ट बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि पीएफएमएस के लिए आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और स्कॉलर को उसके आधार से जुड़े बैंक खाते में छात्रवृत्ति निर्मुक्त कर दी गई है और खाते से जुड़े मोबाइल नंबर पर संदेश भेज दिया गया है।
ii. आधार और बैंक खाते में दिया गया मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए। असुविधा से बचने के लिए शोधार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा होने तक एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखनी चाहिए। किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, उन्हें पोर्टल पर सूचित करना होगा।
iii. विश्वविद्यालयों द्वारा निर्दिष्ट बैंक पोर्टल पर दस्तावेजों को अपलोड करने और मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने पर डीबीटी मोड में मान्य/अधिकृत बैंक को पीएफएमएस के माध्यम से चयनित शोध विद्वानों को अध्येतावृत्ति का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा। इससे मंत्रालय को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से निगरानी करने में भी मदद मिलेगी।

4.2 अध्येतावृत्ति जारी (निर्मुक्त) करने और इसे जारी रखने की प्रक्रिया

पैरा 2.6 में उल्लिखित अध्येतावृत्ति राशि शोधार्थियों के खाते में तिमाही आधार पर निर्मुक्त की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय एवं शोधार्थी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी आवश्यक होगी।

i. अध्येतावृत्ति उस चयन वर्ष से प्रभावी होगी जिसमें मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय/कॉलेज में प्रवेश/कार्य ग्रहण (ज्वाइनिंग)/पंजीकरण के बावजूद अनुसंधान विद्वान (स्कॉलर) (शोधार्थी) का चयन किया गया है।

ii. पाठ्यक्रम की अवधि की गणना विश्वविद्यालय/कॉलेज में प्रवेश वर्ष/कार्यग्रहण वर्ष/पंजीकरण वर्ष, जो भी पहले हो, से की जाएगी। हालांकि, पिछले वर्षों के लिए अध्येतावृत्ति राशि [मंत्रालय द्वारा चयन से पहले] स्वीकार्य नहीं होगी।

iii. अनुसंधान विद्वान (रिसर्च स्कॉलर), जिसे योजना के तहत अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है, को पूर्णकालिक आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान में पाठ्यक्रम जारी रखना आवश्यक होगा।

4.3 पाठ्यक्रम पूरा होने के समय प्रक्रिया

i. शोधार्थी को अपना एम.फिल/पीएच.डी प्रमाणपत्र और पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र मंत्रालय को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ii. शोध विद्वानों (स्कॉलर) द्वारा किए गए शोध के भंडार के लिए, विद्वानों (स्कॉलरों) को अपनी थीसिस को रिपॉजिटरी पोर्टल [repository.tribal.gov.in] पर अपलोड करना आवश्यक है। अंतिम तिमाही की अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) राशि शोधार्थियों को तभी जारी की जाएगी जब वे प्रासंगिक मेटाडेटा के साथ थीसिस को रिपॉजिटरी पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

5. अन्य मुद्दे

5.1 विश्वविद्यालय बदलने की प्रक्रिया

शोधार्थियों को एक विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज से दूसरे विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) को स्थानांतरित करने की अनुमति होगी। इसके लिए उन विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों के पूर्व अनुमोदन, जहां अध्येता पाठ्यक्रम कर रहा था और नए विश्वविद्यालय जहां वह स्थानांतरण लेना चाहता है, की आवश्यकता होगी । पुराना विश्वविद्यालय निर्दिष्ट बैंक पोर्टल पर विद्वान (स्कॉलर) के ऑनलाइन स्थानांतरण की शुरूआत करेगा और नया विश्वविद्यालय स्थानांतरण अनुरोध को स्वीकार करेगा। पुराने और नए दोनों विश्वविद्यालय एक ही पोर्टल पर स्थानांतरण के लिए एनओसी [अनापत्ति प्रमाण पत्र] भी अपलोड करेंगे। दोनों विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन स्थानांतरण अनुरोध प्राप्त होने के बाद, मंत्रालय इसे स्वीकृत करेगा।

5.2 विषय/पाठ्यक्रम को बदलने की प्रक्रिया**:**

शोधार्थी को उन विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों, जहां अध्येता पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा है, के पूर्व अनुमोदन से विषय बदलने की अनुमति दी जाएगी विद्यार्थी पोर्टल पर आवश्यक विवरण अपडेट करेगा। हालांकि, एमफिल के मामले में पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष और एम.फिल + पीएचडी या पीएचडी के मामले में 5 वर्ष होगी।

5.3 पाठ्यक्रम की समाप्ति

शोधार्थी पाठ्यक्रम को समाप्त करने के मामले में, इस तरह की समाप्ति करने के कारण के साथ वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगा। विश्वविद्यालय को आगे के भुगतान को रोकने के लिए निर्दिष्ट बैंक के पोर्टल पर समाप्ति के रूप में चिह्नित (मार्क) करना आवश्यक है।

5.4 अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) की अवधि

छात्रवृत्ति की अवधि एम.फिल छात्रों के लिए 2 वर्ष और एम.फिल+पीएचडी या पीएचडी छात्रों के लिए 5 वर्ष होगी।

5.4.1 जिस तिथि से छात्रवृत्ति की अवधि की गणना की जाएगी।

यदि किसी छात्र ने पिछले वर्ष में एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लिया है, लेकिन आवेदन नहीं कर सका या उस वर्ष अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) के लिए चयनित नहीं हुआ, तो वह बाद के वर्ष में अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) के लिए आवेदन कर सकता है। यदि किसी छात्र को दूसरे या बाद के वर्ष में अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) के लिए चुना जाता है, तो वह पाठ्यक्रम की शेष अवधि के लिए पात्र होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र ने 2020-21 में किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लिया है, लेकिन 2020-21 में आवेदन नहीं कर सका / चयनित नहीं हो सका, और यदि उसे 2021-22 के दौरान अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) के लिए चुना जाता है, तो उसे पाठ्यक्रम की शेष 4 वर्षों की अवधि के लिए अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) प्राप्त होगी।

5.4.2 पीएचडी के लिए अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) प्राप्त करने के इच्छुक एम.फिल विद्वान (स्कॉलर) के मामले में, उसे एक सतत उम्मीदवार माना जाएगा और उसे नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) अधिकतम 5 वर्षों

जिसमें 1 वर्ष / 2 वर्ष की एम.फिल अवधि शामिल है, जैसा भी मामला हो, के लिए उपलब्ध होगी ।

5.4.3 पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में, अध्येतावृत्ति सहायता की कुल अवधि अधिकतम 5 वर्षों तक सीमित होगी

5.5 अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) के लिए अवकाश लाभ (जैसाकि यूजीसी रिसर्च स्कॉलर्स पर लागू होता है)

i. शोधार्थियों को विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से सार्वजनिक अवकाशों के अतिरिक्त एक वर्ष में अधिकतम 30 दिनों की छुट्टी का अधिकार है।

ii. शोधार्थी समय-समय पर जारी भारत सरकार के मानदंड़ों के अनुसार मातृत्व / पितृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं। ऐसे मातृत्व/पितृत्व अवकाश के दौरान कोई फैलोशिप स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, फैलोशिप को उस अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए छुट्टी ली गई थी। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्कॉलर का 1 अप्रैल 2022 को पीएचडी के लिए चयन किया जाता है, तो वह 31 मार्च 2027 तक फैलोशिप प्राप्त करने के लिए पात्र है। यदि कोई महिला रिसर्च स्कॉलर 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक 6 महीने का मातृत्व अवकाश लेती है, तो इस अवधि के दौरान फैलोशिप स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, उनकी फैलोशिप को 6 महीने अर्थात् 30 सितंबर 2027 तक बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने की इस विस्तारित अवधि के दौरान वह फैलोशिप के लिए पात्र हैं।

iii. इसके अलावा, महिला शोधार्थियों को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए "आंतरायिक विराम (इंटरमिटेंट ब्रेक)" की भी अनुमति दी जा सकती है। फेलोशिप की पूरी अवधि के दौरान 3 बार अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है। इस तरह के आंतरायिक विराम (इंटरमिटेंट ब्रेक) के दौरान फेलोशिप की स्वीकार्यता वही होगी जो उपरोक्त पैरा 5.5 (ii) में दी गई है।

iv. शैक्षणिक अवकाशः फेलोशिप के बिना शैक्षणिक अवकाश (किसी भी प्रकार के शैक्षणिक कार्य/अध्यापन/अनुसंधान कार्य के संबंध में विदेश यात्रा के लिए) पूरी अवधि

के दौरान केवल एक वर्ष के लिए स्वीकार्य होगा। ऐसे शैक्षणिक अवकाश के दौरान अध्येतावृत्ति की स्वीकार्यता वही होगी जो उपरोक्त पैरा 5.5(ii) में दी गई है। अनुसंधान कार्य के संबंध में विदेश या घरेलू यात्रा पर व्यय इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।

नोट: सभी प्रकार के अवकाशों के लिए विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।

6. पुरस्कार रद्द करना

विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सूचित/प्रमाणित कदाचार सिद्ध होने या बाद में अयोग्य पाए जाने पर शोध विद्वान (नों) की फैलोशिप रद्द होने के अधीन है।

7. शिकायत मॉड्यूल

छात्र/संस्थान जनजातीय कार्य मंत्रालय के समर्पित शिकायत पोर्टल (www.tribal.nic.in/grievance) पर किसी भी प्रश्न को दर्ज कर सकते हैं।

8. दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

ये दिशानिर्देश चयन वर्ष 2021-22 और उसके बाद से लागू होंगे। हालाँकि, फेलोशिप की दरें 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगी। 1 अप्रैल 2022 से पहले की अवधि के लिए कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा।

9. योजना के प्रावधानों में परिवर्तन

इस योजना के प्रावधानों को समय-समय पर जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से परिपत्र, परिशिष्ट, ज्ञापन इत्यादि जारी करके संशोधित किया जा सकता है व ये दिशानिर्देशों का हिस्सा होगें।

==

भाग-ख (छात्रवृत्ति)

ख. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

1. उद्देश्य

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य मेधावी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रबंधन, चिकित्सा/विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, मानविकी, कानून और सामाजिक विज्ञान आदि जैसे पेशेवर क्षेत्रों में मंत्रालय द्वारा पहचाने गए प्रमुख संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रमों को करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

2. योजना की मुख्य विशेषताएं

यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो पूरी तरह से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित पाठ्यक्रमों और संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 100% वित्त पोषण प्रदान करती है। एक बार प्रदान की गई छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम की अवधि पूरी होने तक जारी रहेगी, जो छात्र के संतोषजनक प्रदर्शन, जैसा कि संस्थान द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, के अधीन होगी।

2.1 पात्रता और पाठ्यक्रम की अवधि

पाठ्यक्रम	**अवधि**	**पात्रता**
स्नातक स्तर	कोर्स की अवधि संस्थानों द्वारा तय की जाती है।	मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अधिसूचित संस्थानों और पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्र इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
स्नातकोत्तर स्तर		

नोट 1: इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले छात्र उसी अध्ययन के लिए केंद्र/राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना के लाभ का दावा करने के पात्र नहीं हैं।

नोट 2: पाठ्यक्रम की अवधि उम्मीदवार द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम के अनुसार बदलती रहती है। छात्रवृत्ति, एक बार प्रदान किए जाने के बाद संस्थान द्वारा प्रमाणित संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन पाठ्यक्रम के पूरा होने तक जारी रहेगी ।

2.2 आय मानदंड: सभी स्रोतों से इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने हेतु छात्र की कुल पारिवारिक आय प्रति वर्ष **6.0** लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक आय की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी: -

i. ऐसे मामले में जहां पिता और माता दोनों कार्यरत हैं, कुल पारिवारिक आय की गणना में उन दोनों की सभी स्रोतों से संयुक्त आय शामिल किया जाएगा।
ii. यदि, पिता और माता के अलावा परिवार का कोई अन्य सदस्य कमाने वाला सदस्य है, तो उसकी आय कुल पारिवारिक आय की गणना में शामिल नहीं की जाएगी।
iii. यदि माता-पिता में से केवल एक जीवित है, तो कुल पैतृक आय पर विचार करने के लिए उस माता-पिता की आय को ध्यान में रखा जाएगा। यदि अन्य सहोदर (सिब्लिंग) या परिवार का सदस्य कमाने वाला सदस्य है, तो उनकी आय को कुल पारिवारिक आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
iv. अभिभावक द्वारा समर्थित किसी अनाथ के मामले में आय मानदंड लागू नहीं होंगे।
v. विवाहित उम्मीदवारों के मामले में, कुल पारिवारिक आय की गणना करने के लिए पति-पत्नी की आय को भी जोड़ा जाएगा।

नोट 1: आय की परिभाषा **-** आय का अर्थ है सकल आय जिसमें सभी स्रोतों से आय जैसे वेतन, ब्याज आय, गृह संपत्ति से आय, व्यवसाय से आय, कृषि आय और किसी अन्य स्रोतों से आय आदि शामिल हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि छात्रवृत्ति के उद्देश्य से आय आयकर अधिनियम में परिभाषित कर योग्य आय नहीं है। योजना के तहत सकल आय की गणना में आयकर अधिनियम की धारा 10, धारा 80 या किसी अन्य धारा में उपलब्ध कटौती और छूट उपलब्ध नहीं होगी।

नोट 2: आय प्रमाण पत्र केवल एक बार अर्थात उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय जो एक वर्ष से अधिक समय तक चल रहे हैं, लेना आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र चयन वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के लिए होना चाहिए। उदाहरण के लिए, चयन वर्ष 2022-23 के लिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 (निर्धारण वर्ष 2022-23) के लिए आय प्रमाण पत्र स्वीकार्य है। वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में फॉर्म-16 स्वीकार किया जाता है। अन्य स्रोतों से आय के मामले में, संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाता है।

2.3 योजना के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान: जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रतिष्ठित प्रमुख संस्थानों की सूची का चयन करने और अधिसूचित करने के लिए अधिकृत

है। 252 अधिसूचित संस्थानों की वर्तमान सूची **अनुलग्नक- I** में दी गई है। जिन छात्रों ने इन अधिसूचित संस्थानों में प्रवेश लिया है, वे दोहराव/द्विरावृत्ति से बचने के लिए इस मंत्रालय की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

2.4 छात्रवृत्ति के स्लॉट:

सभी पात्र छात्र जिन्होंने चिन्हित प्रमुख संस्थानों में योग्यता के आधार पर प्रवेश लिया है, और योजना के मानदंडों के अनुसार संस्थान और मंत्रालय द्वारा सत्यापित हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। स्लॉट की संख्या की कोई संस्थान-वार/राज्य-वार/स्ट्रीम-वार सीमा नहीं है। हालांकि, एक निजी संस्थान में प्रबंधन कोटे में दाखिल हुए छात्र छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे।

2.5 छात्रवृत्ति का मूल्य:

चयनित छात्र योजना में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन निम्नलिखित तालिका में निर्धारित वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा:

क्र.सं.	घटक	विवरण	टिप्पणी
1.	शिक्षण शुल्क और प्रवेश शुल्क	सरकारी संस्थानों के संबंध में पूर्ण प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और अन्य अप्रतिदेय शुल्क।	निजी क्षेत्र के संस्थानों के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये की सीमा होगी।
2.	किताबें और स्टेशनरी	5000/- रुपए प्रति वर्ष	बिना बिल/वाउचर के प्रति वर्ष प्रति छात्र ।
3.	वजीफा (स्टाइपेंड)	3000/- रुपए प्रति माह	-
4.	कंप्यूटर और सहायक उपकरण	45000/- रु. (पाठ्यक्रम अवधि के दौरान एकमुश्त सहायता)	कंप्यूटर और सहायक उपकरण डेस्कटॉप/लैपटॉप आदि हो सकते हैं। (बिल/वाउचर के बिना)

3. चयन प्रक्रिया:

3.1 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन:

(इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) द्वारा विकसित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarships.gov.in/) के माध्यम से आवेदनों को आमंत्रित, संसाधित, अनुमोदित किया जाता है व इसके बाद छात्रवृत्ति वितरित की जाती है। छात्र अधिसूचित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के बाद छात्रवृत्ति हेतु उपर्युक्त पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करेंगे। पोर्टल के खुलने और बंद होने की तारीख का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और संस्थानों और राज्यों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। पोर्टल के खुलने और बंद होने की अस्थायी तारीखों को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल में विज्ञापित किया जाएगा (जैसा कि डीबीटी मिशन द्वारा तय किया गया है)। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रक्रिया के खुलने के लिए पोर्टल पर नजर रखें। निर्धारित तिथि और समय के बाद जमा किए गए आवेदनों को ग्रहण/इन पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.2 पंजीकरण प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले, उम्मीदवारों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले "राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश" को ध्यान से देखें।

3.3 आवश्यक दस्तावेज: एनएसपी पर ऑनलाइन आवेदन भरते समय निम्नलिखित दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है:

क्र.सं.	**स्नातक स्तर / स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम**	**नए उम्मीदवार**	**नवीनीकरण उम्मीदवार**	**टिप्पणी**
1	अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र / पीवीटीजी प्रमाण-पत्र	हां	नहीं	जाति प्रमाण पत्र को सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित (स्टैम्पड) किया जाना आवश्यक है।

2	आय प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट)	हां	नहीं	<u>**नए उम्मीदवार हेतु:**</u> <u>संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी चयन वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के लिए आय प्रमाण पत्र।</u>
3	शुल्क रसीद	हां	हां	
4	बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी	हां	हां	पासबुक पर छात्र का नाम आवेदन पत्र में उल्लिखित नाम से मेल खाना चाहिए
5	अर्हक परीक्षा की मार्क शीट / प्रमाण पत्र	हां	हां	<u>**नए उम्मीदवार के लिए:**</u> स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम: 12वीं कक्षा स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम: स्नातक नवीनीकरण उम्मीदवार के लिए: अंतिम उत्तीर्ण [सेमेस्टर] मार्कशीट
6	संस्थान से जारी प्रामाणिक प्रमाण पत्र	हां	हां	

3.4 विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा सत्यापन प्रक्रिया:

i. पोर्टल में उन संस्थानों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन का प्रावधान है जहां आवेदक ने प्रवेश लिया है। छात्रवृत्ति से संबंधित संस्थानों के नोडल अधिकारियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर स्वयं को पंजीकृत करना अपेक्षित है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए, संस्थान के पदधारी एनएसपी पोर्टल पर उपलब्ध "संस्थान प्रचालन मैनुअल" का अध्ययन कर सकते हैं।

ii. संस्थानों के नोडल अधिकारी पोर्टल पर उसके द्वारा अपलोड किए गए आवेदक के वास्तविक दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पोर्टल में अपलोड किए गए प्रत्यय पत्र (क्रेंडेशियल्स) सही हैं। यह सुनिश्चित करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी कि पोर्टल पर आवेदक द्वारा अपलोड की गई जानकारी और

दस्तावेज सही हैं और सत्यापन के लिए उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत वास्तविक दस्तावेजों से मेल खाते हैं।

iii. संस्थान उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित प्रमाणपत्रों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि फर्जी प्रमाणपत्रों पर छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करने की संभावना को समाप्त किया जा सके।

iv. छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि और समय के भीतर संस्थान के स्तर पर जमा किए गए सभी आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी।

v. संस्थान आवेदनों के सत्यापन के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा।

3.4.1 मंत्रालय द्वारा सत्यापन प्रक्रिया:

संस्थान द्वारा एनएसपी पोर्टल पर विधिवत सत्यापित छात्र विवरण प्राप्त करने के बाद मंत्रालय द्वारा आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। आवेदन में पाई गई किसी भी विसंगति के मामले में, मंत्रालय आवेदन को त्रुटिपूर्ण के रूप में चिह्नित करेगा और त्रुटिपूर्ण आवेदन छात्र को दिखाई देगा। छात्र को सलाह दी जाती है कि वे त्रुटिपूर्ण आवेदन में सुधार करें और संस्थान के स्तर पर पोर्टल पर एक बार फिर से जमा करने की आवश्यकता है। संस्थान सही किए गए आवेदन को सत्यापित करेगा और इसे अंतिम सत्यापन के लिए पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा और अंतिम तिथि से पहले जमा करेगा।

3.5 चयन सूची का प्रकाशन:

छात्रवृत्ति के अनुदान के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

i. छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

ii. मंत्रालय के पास बिना कोई कारण बताए छात्रवृत्ति वापस लेने/रद्द करने का अधिकार है।

4. भुगतान जारी करना:

चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से मान्यता प्राप्त बैंक को वर्ष में एक बार डीबीटी मोड के माध्यम से छात्र के खाते में किया जाएगा।

चयनित उम्मीदवारों को कोर बैंकिंग समाधान (सल्यूशन) वाले बैंकों में बैंक खाते रखने होंगे। यदि छात्रों के पास आधार संख्या नहीं है, तो उन्हें छात्रवृत्ति के तहत पाठ्यक्रमों में पंजीकरण/प्रवेश के एक महीने के भीतर आधार कार्ड के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा।

4.1 भुगतान प्रक्रिया:

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

घटक I: कंप्यूटर और सहायक उपकरणों, किताबें और स्टेशनरी, वजीफा और अप्रतिदेय शुल्क आदि के लिए देय छात्रवृत्ति राशि पीएफएमएस-प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से छात्रों को उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में जारी की जाएगी।

घटक II: शिक्षण शुल्क और प्रवेश शुल्क के लिए देय छात्रवृत्ति राशि पीएफएमएस के माध्यम से संस्थान को जारी की जाएगी। यदि छात्र ने प्रवेश के समय पहले ही शिक्षण शुल्क और प्रवेश शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो इसकी प्रतिपूर्ति रसीद/वाउचर जमा करने पर छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते में की जाएगी।

4.2 संस्थान से उपयोगिता प्रमाण पत्र:

संस्थान को मंत्रालय से छात्रवृत्ति राशि (शिक्षण शुल्क और प्रवेश शुल्क) प्राप्त करने के बाद जिन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की गई है, उनकी सूची के साथ जीएफआर**-12**क फॉर्मेट में उपयोगिता प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। संस्थान, व्यय न की गई शेष राशि, यदि कोई हो, को उपार्जित ब्याज के साथ मंत्रालय को सीनियर एओ, पीएओ, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, दिल्ली एसबीआई शास्त्री भवन में देय डीडी के माध्यम से रिफंड के कारणों के साथ वापस कर देगा।

4.3 पीएफएमएस पर व्यय का अद्यतनीकरण (अप-डेशन):

संस्थान को पीएफएमएस पोर्टल पर अव्ययित शेष राशि के साथ ऑनलाइन व्यय को ऑनबोर्ड और अपडेट करना आवश्यक है। संस्थान यह सुनिश्चित कर सकता है कि पीएफएमएस व्यय मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) में दिए गए विवरणों के साथ मेल खाना चाहिए। पीएफएमएस पर व्यय विवरण को अद्यतन करने के बाद, संस्थान

पीएफएमएस की ईएटी-**02** रिपोर्ट का संदर्भ ले सकता है। यूसी और ईएटी-**02** रिपोर्ट के आधार पर अगले वर्ष के लिए छात्रवृत्ति जारी की जाएगी।

नोट: संस्थानों को छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति जारी करना सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऑनबोर्ड हैं और पीएफएमएस पर अव्ययित शेष राशि के साथ ऑनलाइन व्यय को अपडेट करते हैं। मंत्रालय द्वारा संस्थान को राशि जारी करने में देरी होने की स्थिति में संस्थान छात्रों से शिक्षण शुल्क नहीं मांगेगा।

5. अन्य:

5.1 मंत्रालय के पोर्टल पर पाठ्यक्रम पूरा होने का अद्यतनीकरण:

विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा छात्र के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम समापन को मंत्रालय के पोर्टल पर अद्यतन किया जाना आवश्यक है।

5.2 शिकायत मॉड्यूल: छात्र/संस्थान जनजातीय कार्य मंत्रालय के समर्पित शिकायत पोर्टल (**www.tribal.nic.in/grievance)** पर किसी भी प्रश्न को दर्ज कर सकते हैं।

6. दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता:

ये दिशानिर्देश चयन वर्ष 2021-22 और उसके बाद से लागू होंगे। हालाँकि, छात्रवृत्ति की दरें 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगी। 1 अप्रैल 2022 से पहले की अवधि के लिए कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा।

7. योजना के प्रावधानों में परिवर्तन

इस योजना के प्रावधानों को समय-समय पर जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से परिपत्र, परिशिष्ट, ज्ञापन इत्यादि जारी करके संशोधित किया जा सकता है व ये दिशानिर्देशों का हिस्सा होंगे ।

******